छत्तीसगढ़ विधानसभा
CHHATTISGARH LEGISLATIVE ASSEMBLY

भारत में विधायी निकायों के सचिवों का सम्मेलन
Conference of Secretaries of Legislative Bodies in India

श्री देवेन्द्र वर्मा
सचिव

द्वारा

स्वागत उद्‌बोधन

WELCOME ADDRESS

by

Shri Devendra Verma
Secretary

सोमवार, दिनांक 14 नवम्बर, 2005
Monday, 14th November, 2005

रायपुर
Raipur

Respected Secretary General, Lok Sabha,
Shri P.D.T. Achary ji,
Respected Secretary General, Rajya Sabha,
Dr. Yogendra Narayan ji,
Hon'ble Principal Secretaries and Secretaries of State Legislatures.

I would like to extend a hearty and warm welcome to all of you to this conference of Secretaries of All India Legislatures on behalf of the Chhattisgarh Legislative Assembly and the Chhattisgarh State, widely known as the rice bowl of the country.

It is a matter of pride for the newly established Chhattisgarh State Legislative Assembly that we have had the honour of challenging task of organising this prestigious conference so early when we are still in our infancy. Before I could throw some light in brief about geographical and political condition of the State, I would like to express my gratitude to our source of inspiration and dedicated Hon'ble, Speaker, Chhattisgarh Legislative Assembly Shri Prem Prakash Pandey ji who has all along been instrumental in realising this august occasion of parliamentary democracy a reality. I am also grateful to the Chief Secretary and other concerned senior Officers of the Government who extended their cooperation in successful organisation of this programme directly and

आदरणीय महासचिव, लोकसभा
श्री पी.डी.टी. अचारी जी,
आदरणीय महासचिव,राज्य सभा डॉ. योगेन्द्र नारायण जी,
अन्य विधानमण्डलों के सम्माननीय प्रमुख सचिव
एवं सचिवगण

अखिल भारतीय विधानमण्डलों के सचिवों के इस सम्मेलन में मैं **'धान के कटोरे'** के नाम से विख्यात छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ विधान सभा की ओर से आप सभी प्रबुद्ध आत्मीय जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ।

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा के लिए यह गौरव की बात है कि शैशव अवस्था में ही इस प्रतिष्ठापूर्ण सम्मेलन को आयोजित करने का चुनौतीपूर्ण अवसर हमें प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक, प्राकृतिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि पर संक्षिप्त प्रकाश डालने के पूर्व मैं इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए दृढ़ संकल्पित, हमारे प्रेरणाश्रोत माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय जी, के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक संसदीय अनुष्ठान की योजना को मूर्तरूप दिया। मैं मुख्य सचिव एवं शासन के अन्य सम्बद्ध वरिष्ठ अधिकारियों का भी आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में परोक्ष एवं प्रत्यक्ष सहयोग दिया।

indirectly. I also express my gratitude to the Secretary General, Lok Sabha, Shri. P.D.T. Achary ji, Secretary General Rajya Sabha Shri Yogendra Narayan ji and the Parliament secretariat for their continuous guidance and cooperation. On this occasion, I specially express my gratitude to the then Secretary General, Lok Sabha, Shri G.C. Malhotra also, who guided me in the initial stages for organising this conference. In fact, I am indebted to Hon. Shri Malhotra ji because I have been able to get his affection and guidance since 1982 continuously. Therefore, I think it is my duty to express my gratitude to him on this auspicious occasion.

Hon. Chairman Sir, all of you are aware of the fact that our Chhattisgarh is a nascent State. This State has its own golden history. The capital Raipur has its own historical background and the historians have traced its existence as a city since fourteenth century.

As per 'mythological' beliefs it was known as Kanakpur during the 'Satyuga', Ghatakpur during the 'Tretayuga' and Kanchanpur during the 'Dwaparyuga'. It was known as Repur in the 'Kalyuga' and gradually after various mutations the ancient Repur came to be called Raipur in the present times.Chhattisgarh State was ruled by the great kings of the Maurya, Satvahana, Meghvansh, Vakatak, Gupt, Nalvansh, Sharabhpureeya, Somvansh, Kalchuri, Banvansh and Bhonsle lineage.

मैं, महासचिव, लोकसभा श्री पी.डी.टी.अचारी जी, महासचिव राज्यसभा श्री योगेन्द्र नारायण जी एवं लोकसभा सचिवालय के सतत् दिशा–निर्देश एवं सहयोग के लिए भी मै कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से तत्कालीन महासचिव लोकसभा श्री जी.सी.मलहोत्रा के प्रति सादर आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने सम्मेलन निर्धारण के प्रारंभिक दिनों में मुझे मार्गदर्शन दिया वस्तुतः आदरणीय श्री मलहोत्रा जी का तो मैं बहुत ऋणी हूँ क्योंकि वर्ष 1982 से ही उनका स्नेह एवं मार्गदर्शन मुझे निरन्तर मिलता रहा है। इस अवसर पर मैं उनके प्रति आदरपूर्वक धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूँ।

सम्माननीय सभापति महोदय, आप सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य है। इस राज्य का अपना स्वर्णिम इतिहास है। राजधानी रायपुर की अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, इतिहासकारों ने इसे चौदहवीं शताब्दी के आस–पास का शहर माना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में यह कनकपुर, त्रेतायुग में घटकपुर तो द्वापर युग में यह कंचनपुर था। कलयुग में यह रैपुर तथा कालान्तर में अपभ्रंश होते – होते प्राचीन रैपुर आज का रायपुर बना। छत्तीसगढ़ राज्य में मौर्य, सातवाहन, मेघवंश, वाकाटक, गुप्त, नलवंश, शरभपुरीय सोमवंश, कलचुरी, बाणवंश एवं भोसला वंश के महान राजाओं का शासन रहा।

The holy and brave land of Chhattisgarh has given birth to some freedom fighters whose great contribution can never be forgotten. Shaheed Veernarayan Singh, Pandit Ravishankar Shukla, Khoobchand Baghel, Madhav Rao Sapre, Barrister Chhedilal are the names that are known as the pride of Chhattisgarh.

It is an ancient State from the cultural point of view. It's history can be traced right to the dawn of human civilisation. Rock-carving in Singhanpur of Raigarh district and Chitvadongri of Rajnandgaon district are the living proofs of the fact. The Chaturbhuji Sculpture of Vishnu in Malhar is illustrative of the cultural advancement and the tradition of Vaishnava devotion of Chhattisgarh. The Bhoramdev Temple carries forward the World renowned architectural tradition of Khajuraho. The Rajeev-Lochan Temple constructed in the eighth or ninth century is still propagating the devotion of Jagannath culture amongst the people. The teachings of Vallabhacharya, who was born in Champaran have been imbibed by the people all over the Country. A visit to Maa Mahamaya in Ratanpur makes one feel as if all divine powers have been assimilated within oneself. Sirpur, that was the Capital of South Kausal in the mid fifth century is the living example of the historical background of Chhattisgarh. Sua, Dadriya, Karma, Panthi, Bharthari, Pandavani are the various folk art forms which reflect the feeling of rich cultural heritage of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ की पवित्र माटी और इस वीर भूमि के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में कुछ नाम ऐसे हैं, जिनके महान योगदान को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता । जैसे – शहीद वीरनारायण सिंह, पं. रविशंकर शुक्ल, खूबचन्द बघेल, माधव राव सप्रे, बैरिस्टर छेदीलाल ये छत्तीसगढ़ के गौरव के रूप में जाने जाते हैं।

सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में यह एक आदि राज्य है। इसकी प्राचीनता के तार मानव सभ्यता के उषाकाल से जुड़ते हैं। रायगढ़ जिले में सिंघनपुर, राजनांदगांव जिले में चितवाडोंगरी के शैलचित्र इसकी जीवंत कथा बाचते हैं। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना और वैष्णव प्रियता को सिद्ध करती है मल्हार की चतुर्भुजी विष्णु की पाषाण प्रतिमा, भोरमदेव मंदिर विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की परंपरा को आगे बढ़ाता है। आठवीं– नौवीं शताब्दी में प्रतिष्ठित राजीव लोचन मंदिर जगन्नाथ संस्कृति को आज भी जन–जन में पल्लवित कर रहा है। चम्पारण्य में अवतरित वल्लभाचार्य की वाणी को समूचा देश आत्मसात् करता है। रतनपुर की माँ महामाया पहुँचकर महसूस होता है जैसे सारी की सारी दैवीय आध्यात्मिक शक्तियाँ हमारे भीतर समा गयी हों। पाँचवी सदी के मध्य में दक्षिण कोसल की राजधानी रह चुका सिरपुर छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जीवंत दस्तावेज है। सुआ, ददरिया, करमा, पंथी, भरथरी, पंडवानी अनेकानेक ऐसी कई लोक विधाएँ हैं जो कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक सम्पन्नता के भाव को परिलक्षित करती है।

Chhattisgarh State was formed by separating 16 districts out of 61 districts that existed in Madhya Pradesh prior to formation of Chhattisgarh. It was done vide the Reorganisation of Madhya Pradesh Act, 2000 passed by the Parliament in the year 2000. As a consequence thereof, Chhattisgarh came into existence as the 26th State of the country with effect from November, 1st, 2000.

Chhattisgarh Legislative Assembly has developed its distinct work culture of its own in a very short period. It has established new standards in conducting the business of the House alongwith rules, conventions, procedures, precedents in this short span of time.

I would like to mention certain special achievements of the Chhattisgarh Legislative Assembly in brief :

1. The Chhattisgarh Legislative Assembly has achieved fame at the national level in maintaining coordination, balance and mutual goodwill between the ruling party and the opposition and defending the parliamentary dignity. The opposition's contribution towards parliamentary proceedings, conventions and proper conduct of the House in the Chhattisgarh Legislative Assembly is unparalleled. Its obvious example is the unanimous historical decision taken in the Legislative Assembly on 20th November, 2001 to the effect that the membership of those Hon. Members who will interrupt the proceedings of the House by going to the well of the House will be deemed suspended automatically for such a period as the Hon. Speaker may decide. I feel happy to

वर्ष 2000 में संसद द्वारा पारित म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा तत्समय विद्यमान म.प्र. के 61 जिलों में से 16 जिलों को पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। जिसके फलस्वरूप, दिनांक 01 नवम्बर, 2000 से देश के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। इस अल्प अवधि में ही छत्तीसगढ़ विधान सभा ने अपनी विशिष्ट कार्य संस्कृति विकसित की है। अल्पावधि की संसदीय यात्रा में नियमों, परम्पराओं, प्रक्रियाओं, नजीरों के साथ सदन संचालन के नये प्रतिमान स्थापित किए हैं।

छत्तीसगढ़ विधान सभा की कुछ विशिष्ट उपलब्धियों का मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा।

1. पक्ष और विपक्ष के मध्य समन्वय और संतुलन, आपसी सद्भावना तथा संसदीय गरिमा की रक्षा में छत्तीसगढ़ विधान सभा ने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है । संसदीय कार्यवाहियों, परम्पराओं तथा सुव्यवस्थित सदन संचालन में छत्तीसगढ़ विधान सभा में प्रतिपक्ष का अप्रतिम योगदान है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है – दिनांक 20 नवम्बर, 2001 को विधान सभा में सर्वमतेन यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था कि सदन की बैठक के चलते जो माननीय सदस्य गर्भगृह में आकर व्यवधान उपस्थित करेंगे, उनकी सदस्यता स्वयमेव तब तक के लिए निलंबित मानी जायेगी जैसा कि माननीय अध्यक्ष तय करें। मैं आपको यह बताने में हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी

inform you that these rules have been incorporated in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Chhattisgarh Legislative Assembly and Chhattisgarh Legislative is the only Legislative Assembly in the country where these rules are complied with strictly. The model work style and the disciplined conduct of the opposition in the Chhattisgarh Legislative Assembly may set a example for other Legislative Assemblies to emulate. The unanimously approved provisions of automatic suspension on entering the well of the House underlines the opposition's sentiment of imbibing the highest parliamentary work culture of the Chhattisgarh Legislative Assembly.

2. 'A commitee on Members' Amenities and Honour is constituted in the Chhattisgarh Legislative Assembly after constitution of every Legislative Assembly with a view to providing amenities to the elected Hon. Members in accordance with their status and for investigating the complaints regarding unbecoming conduct by the Government officials against the dignity of the Hon. Members.

3. A Commitee on Ethics is constituted in the Chhattisgarh Legislative Assembly to examine the complaints relating to violation of the Guiding Principles in regard to the conduct of the Hon. Members in and outside the House.

नियमावली में इन्हें सम्मिलित किया गया है तथा छत्तीसगढ़ विधान सभा देश की एक मात्र ऐसी विधान सभा है जहाँ इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है। छत्तीसगढ़ विधान सभा में प्रतिपक्ष की आदर्श कार्य शैली तथा संयमित आचरण अन्य विधान सभाओं के लिए प्रेरक व अनुकरणीय हो सकते हैं। गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन का सर्वमतेन स्वेच्छापूर्वक स्वीकृत प्रावधान उच्च संसदीय संस्कारों को आत्मसात करने की प्रतिपक्ष की भावना के साथ छत्तीसगढ़ विधान सभा की संसदीय कार्य संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।

2. छत्तीसगढ़ विधान सभा में प्रत्येक विधान सभा के गठन पश्चात् निर्वाचित माननीय सदस्यों को उनकी गरिमा के अनुरूप सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दृष्टि से, एवं शासकीय अधिकारियों द्वारा माननीय सदस्यों की गरिमा के प्रतिकूल किए जाने वाले असम्मानजनक व्यवहार की शिकायतों की जाँच करने के लिए **"सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति"** का गठन किया जाता है।

3. माननीय सदस्यों के सभा एवं सभा के बाहर अपेक्षित आचरण के विपरीत किए गए आचरणों से संदर्भित शिकायतों के परीक्षण के लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा में **"आचरण समिति"** गठित की जाती है जो माननीय सदस्यों के आचरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करती है।

4. With a view to encourage Parliamentary activities, the Chhattisgarh Legislative Assembly confers outstanding Legislator award to two outstanding Legislators - one from the treasury benches and the other from the opposition benches every year. Similarly, outstanding Parliamentary Journalist award is also conferred for outstanding Parliamentary reporting.

5. Chhattisgarh Legislative Assembly had the honour of organizing a programme on first ever visit and address to the Assembly by His Excellency President of India.

6. Efforts are being made continuously to satisfy the curiosity of people's representatives of three-tier Panchayat Raj System and school/college students after watching the proceedings of the Assembly during the session with a view to acqaint them with the proceedings of the Assembly. The objective behind it is to make aware the common people of the State with the proceedings of the Supreme Panchayat of the State so that common people could closely see and understand minutely the importance, functions, power and rights as well as actual working of this Supreme democratic institution and have faith in the working of this institution which is the basis of democracy.

7. During inter-session period, our secretariate actively carries out various creative activities. In addition to work pertaining to Assembly sessions, the secretariat

4. संसदीय गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा प्रतिवर्ष पक्ष के एक तथा विपक्ष के एक सदस्य को **"उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार"** प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए **"उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार"** भी दिया जाता है।

5. छत्तीसगढ़ विधान सभा को यह गौरव प्राप्त है कि यहाँ सर्वप्रथम महामहिम राष्ट्रपति जी का सभा भवन में आगमन एवं उद्‌बोधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

6. छत्तीसगढ़ विधान सभा में सत्रकाल में त्रि–स्तरीय पंचायत राज्य के जनप्रतिनिधियों व स्कूल/कालेजों के छात्र/छात्राओं को सदन की कार्यवाही से भिज्ञ कराने की दृष्टि से सदन की कार्यवाही का अवलोकन पश्चात् उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। इस कार्य के पीछे यह उद्‌देश्य निहित है कि प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत की कार्यवाही जन–सामान्य तक सरलता से पहुँचायी जा सके। आम जनप्रतिनिधि इस सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था के महत्व, कर्त्तव्य, अधिकार कार्य विधि को नजदीक से देखकर सूक्ष्मता से समझ सकें और इस संस्था की कार्यप्रणाली व व्यवस्थाओं पर उनका सहज विश्वास स्थापित हो जो कि लोकतंत्र का आधार है।

7. सत्रकाल के पश्चात् के कार्य दिवसों में विभिन्न सृजनात्मक गतिविधियों में हमारा सचिवालय पूरी सक्रियता से जागरूकता के साथ सन्नद्ध रहता है। सत्र कार्य के अलावा

continuously conducts various programmes like seminars, lectures, workshops and training programmes etc in order to encourage the legislative activities and to make the common people aware of the work culture of Legislatures.

The convention of organising the Conference of Secretaries along with the Conference of Presiding Officers developed since 1953. We certainly get guidance and new direction in solving the difficulties, which crop up before us, through organising such conferences and mutual exchange of views. We also get a plateform to develop the spirit of national brotherhood and an opportunity to get benefit from the vast Parliamentary experience of the Secretaries-General of the Lok Sabha and the Rajya Sabha.

In any Legislature, the responsibility of the Secretary as the chief administrative controlling authority is considered to be very challenging and important.

In consonance with the views of the Hon'ble Speaker, the legitimate discharge of the onerous parliamentary and administrative responsibilities, continuous interaction and coordination between the Legislature and the Executive Challenges of implementation of the decisions of the House and Committees, determination of the issues of the public interest, examination of various procedural proposals put

संसदीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, संसदीय कार्य संस्कृति से आम जनता को अवगत कराने की दृष्टि से हम निरंतर विभिन्न संगोष्ठी, व्याख्यान, कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि संचालित करते रहते हैं।

पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के साथ सचिव सम्मेलन आयोजित करने की परम्परा वर्ष 1953 से विकसित हुई। निश्चित रूप से ऐसे सम्मेलनों एवं विचारों के पारस्परिक आदान–प्रदान के माध्यम से हमें अपने समक्ष उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण, उसके समाधान के लिए मार्गदर्शन और नई दिशा प्राप्त होती है, राष्ट्रीय भातृत्व की भावना को विकसित करने का मंच मिलता है, एवं लोकसभा व राज्य सभा के महासचिवों के सुदीर्घ संसदीय अनुभवों से लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त होता है।

किसी भी विधानमंडल में मुख्य प्रशासनिक नियंत्रणकर्ता अधिकारी के रूप में सचिव का दायित्व अत्यन्त चुनौतीपूर्ण, महत्वपूर्ण माना जाता है।

माननीय अध्यक्ष के विचारों के अनुरूप वृहद संसदीय एवं प्रशासनिक दायित्वों का विधिसंगत सम्यक रूप से निर्वहन विधायिका और कार्यपालिका के मध्य निरंतर संवाद और समन्वय, सभा समितियों के निर्णयों के क्रियान्वयन की चुनौती, जनहित के विषयों का निर्धारण, माननीय सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रक्रियात्मक प्रस्तावों का परीक्षण एवं उनकी अपेक्षानुरूप समन्वयात्मक विधि से सुसंगत निर्धारण, संवैधानिक प्रावधानों

up by the Hon. Members and their reasonable disposal in a coordinated manner as per their expectation to continuously develop the democratic system in accordance with the constitutional provisions and parliamentary dignity and the greater responsibility to promote and preserve the parliamentary system are the big challenges of discharging responsibilities attached to the office of the Secretary. In carrying out these great responsibilities effectively, convening of such Conferences and the decision arrived at therein are of great help and guidance.

In fact, the basis of the parliamentary system of governance are the parliamentary conventions and procedures evolved gradually but it is also a fact that to develop an effective functioning of the democracy, and to infuse the spirit of democracy in the minds of the people as a last option, undisputed and all acceptable remedy to a good governance, a serious thought also be given to include, the space and time, circumstances and fast changing scenarios within the ambit of consideration at such Conferences.

Article 187 of the Constitution empowers the Legislatures to establish its own independent Secretariat. As per the constitutional provisions, though we have established our own independent Secretariat, even then we have not fully implemented the rules regulating service conditions, pay-scales, allowances and other amenities,

एवं संसदीय गरिमा के अनुकूल लोकतांत्रिक प्रणाली को निरंतर विकसित करने तथा संसदीय प्रणाली को संवर्धन एवं संरक्षण देने की महती जिम्मेदारी सचिव के पदीय दायित्वों के निर्वहन की गंभीर चुनौतियॉ हैं। इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से संपादित करने में ऐसे सम्मेलनों के आयोजन व निष्कर्षों से पर्याप्त मार्गदर्शन व सहायता प्राप्त होती है।

निश्चित रूप से संसदीय शासन प्रणाली का आधार शनैः–शनैः विकसित संसदीय परम्पराऍं और प्रक्रियाऍं हैं परन्तु यह भी सत्य है कि लोकतंत्र की प्रभावी कार्यपद्धति विकसित करने, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जनमानस के मध्य विकल्पहीन, निर्विवादित, सर्वमान्य औषधि के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए इस तरह के सम्मेलनों में देश काल, समय, परिस्थिति तथा तीव्र गति से परिवर्तित परिदृश्यों को भी अपने विचारण क्षेत्र में सम्मिलित कर गंभीर चिंतन किया जाए।

संविधान के अनुच्छेद 187 द्वारा विधानमंडलों को अपनी स्वतंत्र कार्यप्रणाली एवं पृथक सचिवालय की स्थापना की संवैधानिक शक्ति प्रदान की गई है। संवैधानिक शक्तियों के प्रावधानों के अनुरूप हमने अपना पृथक सचिवालय तो स्थापित किया है, किन्तु हमारे सचिवालयों की स्वतंत्र प्रणाली होने के बावजूद सेवा संबंधी नियमों, वेतनमान, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित नियमों को संभवतः हमने पूर्णतः स्वतंत्रता से कार्यान्वित नहीं किया, इसके कारण एक लंबी अवधि व्यतीत होने के बावजूद, विधानमंडलों को अनेक समस्याओं

following which despite passing of a long period, the State Legislatures have been facing several problems. I therefore suggest that it is time to interpret afresh the independence bestowed on the State Legistatures in the light of the constitutional provisions and thereby taking the initiative to evolve a new interpretation of our rights and redefine them as the legislature is the main pillar which safeguards the people's interest. In such a situation the complete independence of State Legislatures is quite necessary for an awakened and healthy democracy. The prevalent concept of supremacy of legislature should not only be of the principle nature but also of quantitative nature, only then the universality of the democracy can be established in real terms.

I am sure we will have an extensive discussion on vital issues in this Conference and the country's Parliamentary system of Government certainly stands to benefit thereby. I would like to make a special submission here to all of you as I have pointed out earlier as well, that our State Assembly is yet to come of age. Our resources are limited. Though we have tried our best to see at all levels that our respected guests do not face any inconvenience but as all of you are well aware that it is a grand function, therefore, despite all our sincere efforts and endeavors, it is quite possible that some shortcomings and lapses might have crept into the arrangements put in

का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि अब वह अवसर आ गया है कि विधानमंडलों को संवैधानिक अधिकारों के प्रकाश में प्राप्त स्वतंत्रता की नए सिरे से समीक्षा करते हुए अपने अधिकारों की भी नई व्याख्या विकसित एवं परिभाषित करने की पहल करना चाहिए क्योंकि विधानमंडल जनता के हितों के लिए कार्य करने वाले मुख्य आधार स्तंभ हैं। ऐसी स्थिति में जाग्रत व स्वस्थ्य लोकतंत्र के लिए विधानमंडलों की पूर्ण स्वतंत्रता अत्यावश्यक है। विधायिका की सर्वोच्चता की प्रचलित धारणा केवल सैद्धांतिक स्वरूप की न होकर परिणामात्मक होना चाहिए तभी वास्तविक रूप से लोकतंत्र की सार्वभौमिकता सही अर्थों में प्रमाणित की जा सकेगी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सम्मेलन में अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयों पर सारगर्भित चर्चा होगी और इस चर्चा का लाभ देश की संसदीय शासन प्रणाली को मिलेगा। आप सभी से एक विशेष आग्रह करना चाहूँगा जैसा कि मैंने पूर्व में आपको अवगत कराया है, हमारी राज्य विधानसभा की संसदीय यात्रा बहुत छोटी है। हमारे संसाधन सीमित है। यद्यपि हमने प्रत्येक स्तर पर पुरजोर कोशिश की है कि हमारे सम्माननीय अतिथियों को कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा न हो, किन्तु आप सब जानते हैं कि यह एक वृहद आयोजन है, इसलिए सम्पूर्ण प्रयासों और कोशिशों के बावजूद भी यह संभव है और हो सकता है हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यवस्था में कहीं छोटी–मोटी चूक या त्रुटि हो तथा आपको कुछ

place by us and some honourable guests might have faced some inconvenience but I do hope and believe that your noble self would graciously forgive us for the inadvertent lapses that have caused incovenience to you.

In this Conference our sincere endeavour will be, alongwith intellectual deliberations, to acquaint you to the distinct culture, folk arts, folk songs & music and cultural sysmbols of the State. We have, therefore, attempted to incorporate in the cultural section of the programmes such programmes to make you aware of the distinct art and culture of Chhattisgarh, Site visits of some renowned historical places have also been planned. I do hope that all of you would like to enjoy all these programmes. At last, I again express my sincere gratitudes to Secretaries General of Lok Sabha and Rajya Sabha, Principal Secretaries and Secretaries of State Legislatures for gracing this august occasion and extending their invaluable contribution and cooperation towards making this conference a grand success.

Thanks,

Jai Bharat, Jai Chhattisgarh

असुविधा हो इसे कृपया अन्यथा नहीं लेंगे तथा इन व्यवस्था जन्य खामियों के लिए क्षमा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप उदारतापूर्वक हमारी भावना और प्रयास को समझने का प्रयास करेंगे तथा अनजाने में हुई असुविधा के लिए क्षमा करेंगे।

इस सम्मेलन में बौद्धिक चर्चा के साथ–साथ हमारी यह भी कोशिश है कि इस राज्य की लोक संस्कृति, लोक कला, लोक संगीत व सांस्कृतिक प्रतिमानों से भी आपका परिचय करायें। इसके लिए हमने आयोजन के सांस्कृतिक खण्ड में ऐसे कार्यक्रमों को समाविष्ट करने का प्रयास किया है, जिससे आप छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति के बारे में कुछ जान और समझ सकेंगे। राज्य के कुछ प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी कराए जाने की व्यवस्था की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन सभी कार्यक्रमों का आनन्द अवश्य लेना चाहेंगे। अन्त में मैं पुनश्च हम सब के मध्य उपस्थित महासचिव लोकसभा, महासचिव राज्य सभा, अन्य राज्य विधान मण्डलों के प्रमुख सचिवों, सचिवों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप सभी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमें अनुग्रहित किया। इस सम्मेलन को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान और सहयोग प्रदान किया।

धन्यवाद।

जय भारत ! जय छत्तीसगढ़ !